न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/98/2022	2022/173	06.06.2022	11.07.2023

1. कैलाश चन्द पुत्र श्री पृथ्वी, जाति मीना निवासी गोविन्दगढ, तहसील गोविन्दगढ, जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलाण्ट

बनाम

2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गोविन्दगढ, जिला अलवर, राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट

अपील धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.04.2022 तहसीलदार गोविन्दगढ प्रकरण संख्या 33/2019

उपस्थितः—

01. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल —वकील अपीलाण्ट
02. राजकीय अभिभाषक — रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार गोविन्दगढ के निर्णय दिनांक 19.04.2019 प्रकरण संख्या 33/2019 जिसके द्वारा संवत 2078 वाके ग्राम गोविन्दगढ तहसील गोविन्दगढ की आराजी खसरा न0 193 रकबा 0.1011 है0 किस्म गैरमुमकिन चाह में से अतिक्रमित रकबा 10x20 में दुकान निर्माण कर अतिक्रमण करने पर बेदखली कार्यवाही से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया। विद्वान वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी अपीलाण्ट वकील ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि पटवारी हल्का गोविन्दगढ ने एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थी के विरूद्व अदालत तहसीलदार गोविन्दगढ के यहॉ पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 193 वाके ग्राम गोविन्दगढ में 10 बाई 20 फुट में अतिक्रमण कर दुकान निर्माण किया है जिस नोटिस के प्राप्त होने पर अपीलांट ने अपना जवाब पेश कर कथन किया कि उक्त खसरा नंबर 193 में मेरा कोई अतिक्रमण नही है और ना मेरे द्वारा कोई निर्माण किया गया है बल्कि दुकान योगेश पुत्र इन्दरमल महाजन की है मेरा कोई वास्ता या संबंध नही है। जिस बाबत अपीलांट के बयान लिये गये ततपश्चात अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुये अदालत तहसीलदार गोविन्दगढ ने योगेश पुत्र इन्दरमल महाजन को नोटिस जारी कर दिये गये तथा उसने भी अपना जवाब प्रस्तुत किया जब योगेश को अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुये नोटिस जारी कर दिया तो अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.'04.22 को

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

निर्णय पारित कर दिया। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय दिनांक 13.04.22 को पारित कर दिया जिस निर्णय की जानकारी मिन अपीलांट को दिनांक 30.05.22 को पटवारी हल्का बताये जाने पर हुई पटवारी हल्का ने बताया कि निर्णय तुम्हारे खिलाफ हो गया है तो अपीलांट ने तहसील कार्यालय में जाकर निर्णय की जानकारी की व नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो दिनांक 01.06.22 को नकल प्राप्त हुई जिस जानकारी से अपील अदंर अवधी पेश की जा रही है। देरी कन्डोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट मंजूर फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोविन्दगढ का निर्णय दिनांक 13.04.22 निरस्त फरमाये जाने की कृपा करे।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपीलांट को दिनांक 30.05.22 को पटवारी हल्का से जानकारी होने पर मामूलन अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। विलम्ब का कारण नेक नियति पर आधारित होने से जेर दफा 05 मियाद अधिनियम के तहत माफ किये जाने व मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का गोविन्दगढ द्वारा दिनॉक 23.04.2019 को अतिक्रमण रिपोर्ट आराजी खसरा न0 193 रकबा 0.1011 गैर मुमकिन चाह में से 10 बाई 20 पर पक्की दुकान निर्माण कैलाश पुत्र पृथ्वी मीना निवासी गोविन्दगढ अतिक्रमण की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.12.2020 के द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमि को नोटिस जारी किया गया जो अतिक्रमी को विधिवत तामील होकर संलग्न पत्रावली है। अपीलान्ट न्यायालय में नियत तारीख पेशी दिनॉक 13.01.2021 पर मय वकील उपस्थित हुआ। अतिक्रमी ने जवाब पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 193 की भूमि से किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नहीं है। दुकान का निर्माण खसरा नंबर 193 की भूमि पर ना होकर खसरा नंबर 202 में उत्तरी सिरे पर व 313 गैर मुमकिन आबादी में निर्मित है जो योगेश कुमार पुत्र इन्दरमल महाजन की कब्जे की व स्वामित्व की है। पटवार हल्का द्वारा खसरा नंबर 193 की पैमाइश दिनांक 22.04.19 के अघ्ययन से यह जाहिर होता है कि पटवारी हल्का ने पैमाइश खसरा नंबर 312 को मुस्तकील बिन्दु मानकर खसरा नंबर 193 की चारो भुजायें कायम करना कानूनन सही नहीं है तथा वक्त पैमाइश संबंधित पक्षकारों को बुलाकर पुनः पैमाइश कराई जाये। जिस पर अतिक्रमी कैलाश चन्द पुत्र पृथ्वी मीना निवासी गोविन्दगढ के आराजी खसरा नंबर 193 रकबा 0.11 है0 गैर मुमकिन चारागाह पर बयान लिये गये। अतिक्रमी ने अवगत कराया कि मेरे द्वारा अतिक्रमण व कब्जा नहीं किया गया है तथा उक्त स्थान पर योगेश कुमार पुत्र इन्दरमल कौम महाजन निवासी गोविन्दगढ के कब्जे व स्वामित्व की है। योगेश कुमार पुत्र इन्दरमल महाजन ने अपने जवाब 01.03.2021 में अवगत कराया कि आराजी खसरा नंबर 193 की आराजी पर मेरा कोई कब्जा नहीं है ना ही दुकान इस आराजी खसरा नंबर 193 की जमीन पर है। गैरसायल द्वारा दिनांक 05.06.2016 व 07.09.2016 को रजिस्टर्ड बयनामा के खरीद की है। जिससे यह स्पष्ट नही हो पा रहा है कि उक्त आराजी खसरा नंबर 193 पर पक्का दुकान का निर्माण किया हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय को आराजी खसरा नंबर 193 की नियमानुसार पैमाइश की जाकर अतिक्रमण पर पाये जाने पर अतिकमी के विरूद्व बेदखली कार्यवाही की जानी चाहिए थी। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(प्रथम) अलवर (राज0)

किया जाना प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.04.2022 निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोविन्दगढ के निर्णय दिनॉक 13.04.2022 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार गोविन्दगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपील में वर्णित आराजी ख0 नं0 193 रकबा 0.11 है0 की विधिवत पैमाइश की जाकर नियमानुसार जांच कर उक्त वर्णित आराजी पर अगर अतिकमण पाया जाता है तो अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर वाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)